न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 115 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 180

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
बाबुलाल पुत्र पोकरराम जाति सुथार निवासी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधोणियों की स्कूल भेवानगर तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा	1.नेमाराम पुत्र लालाराम जाति सुथार 2.अगियाराम पुत्र चोपला 3.केसाराम पुत्र चोपला 4.कानाराम पुत्र चोपला 5.तगाराम पुत्र चोपला 6.धुड़ाराम पुत्र भोलाराम 7.पारसराम पुत्र काछुड़ा 8.बुलाराम पुत्र चोपला 9.वंशाराम पुत्र काछुड़ा 10.भटाराम पुत्र जोगाराम 11.लूम्बाराम पुत्र राणाराम 12.सुबटी पत्नी जोगाराम 13.सेंवाराम पुत्र चोपला 14.सीतादेवी पत्नी रामचन्द्र 15.हेमाराम पुत्र कासूड़ा जाति भील निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा 16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01

3.विप्रार्थी संख्या 2 से 15 एकपक्षीय

4.विप्रार्थी संख्या 16 अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

:आदेश :

दिनांक- 14.11.2024

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी बाबुलाल पुत्र पोकरराम जाति सुथार निवासी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधोजियों की स्कूल, मेवानगर तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 549/14 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टयर मौजा मेवानगर तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 16 व 555/14 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री बाबुलाल सांखला द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा साथ ही जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 5 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 16 द्वारा जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।
3. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्तों की बहस सुनी गई। विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 16 व 555/14 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी 20 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।
4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढत तथ्यों के आधार पर आवेदन–पत्र पेश किया गया है,तो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि विप्रार्थी की खातेदारी खसरान में मौके पर रास्ता प्रचलित ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत से सड़क मार्ग पंहुचने के लिए खसरा संख्या 556/16 व

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 1332/16 मे से चल रहे रास्ता का उपयोग किया जा रहा है,जो कि बहुत लम्बे समय से उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरान से अनुतोष नहीं चाहा जाकर विप्रार्थी की खातेदारी भूमि से चाहा जा रहा है। जबकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता मौके पर मौजूद ही नहीं है। केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से ही आवेदन पेश किया गया है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 549/14 के लिए विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 555/14 व खसरा संख्या 16 में से बरंग हरा में दर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है,जिसे साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर है।

6. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता देने के लिए खसरा संख्या 555/14 व खसरा संख्या 16 मे से रास्ता बरंग हरा प्रस्तावित किया गया है। जबकि खसरा संख्या 16 मे से मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

डामर सड़क है,लेकिन रिकॉर्ड में कटान नहीं है। विधि में निहित प्रावधानों के तहत काश्तकार को अपनी जोत से होकर सड़क मार्ग तक पंहुचने के लिए रास्ता दिए जाने का प्रावधान है,लेकिन बशर्ते सड़क मार्ग का रिकॉर्ड मे कटान दर्ज होना चाहिए,जो कि हस्तगत प्रकरण में खसरा संख्या 16 में सड़क मार्ग कटान का रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है। जिसके अभाव के कारण प्रार्थी को रास्ता दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी की गई है कि प्रार्थी द्वारा अपना आवागमन खसरा संख्या 556/15 मे से किया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी केवलमात्र अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग कर रहा है,जो कि कानून में निहित प्रावधानो के तहत प्रार्थी को अपनी सुविधा के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी यह सिद्व नहीं कर पाया है कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वैकल्पिक साधन का अभाव हो,क्योकि प्रार्थी के लिए वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u> :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

14.11.2024

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा